

**कार्यालय, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर**  
(सचिवालय)

**प्रस्तावना :-**

मा. स्थायी समिती चे ठराव क्र. 153 दिनांक 27.08.2015 नुसार

**{विधी विभाग}**

उच्च न्यायालयाचे प्रति प्रकरण दर दिनांक 01/09/2015

पासून तर इतर न्यायालयांकरीता प्रति प्रकरण दर स्थायी समिती ठराव क्र. 26 दिनांक 01/06/2017 नुसार मा. उच्च न्यायालयातील पॅनल वरील अधिवक्त्यांचे व्यवसायीक फी च्या दरात कोणतेही फेरबदल न करता अद्यापावेतो अमलात असल्याने व जवळपास उच्च न्यायालयातील दरांमध्ये मागील 8 वर्षांपासून व इतर न्यायालयांचे दरांमध्ये मागील 6 वर्षांपासून कोणतीही वाढ करण्यात आली नसल्याने अधिवक्तांकडून व्यवसायीक फी मध्ये वाढ करण्याकरीता सततमा. आयुक्तांना मागणी करण्यात येत असल्याने मा. आयुक्तांनी दि. 29/05/2023 रोजी प्रचलीत धोरणामध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देशित केले होते.

मा. आयुक्त यांचे वरील निर्देशानुसार विधी विभागाने विषयानुसार विस्तृत प्रस्ताव मा. आयुक्तांना सादर केले होते. सादर केलेल्या प्रस्तावावर अभ्यास करून अहवाल करण्याकरीता मा. आयुक्तांचे दिनांक 02.01.2024 च्या आदेशान्वये अति. आयुक्त (सामान्य) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती चे गठन करण्यात आले होते. गठीत समितीने विधी विभागाच्या प्रस्तावावर अभ्यास करून व चर्चा करून विस्तृत अहवाल मा. आयुक्तांना दिनांक 30.01.2024 रोजी सादर केले होते. सादर केलेल्या प्रस्ताव क्र. अ, ब, क आणि ड पैकी **प्रस्ताव क्र. अ, ब, आणि ड** ला समितीने वेळेवर केलेल्या सुधारणा व सूचनेसह मा. आयुक्तांनी दिनांक 01.02.2024 रोजी मान्यता प्रदान केली आहे.

मा. आयुक्तांनी मान्यता प्रदान केलेल्या प्रस्तावाला सद्यस्थितीत स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्याने मा. प्रशासक यांची मान्यता असणे आवश्यक असल्याने खालीलप्रमाणे न्यायालय निहाय मनपा पॅनलवरील अधिवक्तांकरीता सुधारीत धोरणाचा प्रारूप सादर करण्यात येत आहे.

**प्रस्ताव – अ**

| अनु. क्र.                | प्रकरणाचा प्रकार  | जुने दर   | प्रस्तावित नविन दर       |                          |
|--------------------------|---|-----------|--------------------------|--------------------------|
|                          |   |           | (कनिष्ठ अधिवक्तां करीता) | (वरीष्ठ अधिवक्तां करीता) |
| <b>सर्वोच्च न्यायालय</b> |   |           |                          |                          |
| 1.                       | विशेष अनुमती याचिका व इतर (SLP etc.)  | 25000 / - | 50000 / -                | 75000 / -                |
| <b>उच्च न्यायालय</b>     |   |           |                          |                          |
| 1.                       | याचिका (Writ Petition)  | 10000 / - | 15000 / -                | 20000 / -                |
| 2.                       | अवमानना याचिका (Contempt Petition)  | 10000 / - | 15000 / -                | 20000 / -                |
| 3.                       | प्रथम अपिल (First Appeal)   | 10000 / - | 15000 / -                | 20000 / -                |
| 4.                       | द्वितीय अपिल (Second Appeal)  | 10000 / - | 15000 / -                | 20000 / -                |
| 5.                       | जनहित याचिका (Public Interest Litigation)   | 20000 / - | 25000 / -                | 30000 / -                |
| 6.                       | याचिका जिथे महानगरपालिका औपचारीक पक्ष असेल (Writ Petition in which NMC is formal Party)                         | 7500 / -  | 10000 / -                | 12500 / -                |
| 7.                       | इतर न्यायालयांनी पारीत केलेले अंतरीम आदेशाविरुद्ध याचिका (Writ Petition against interim orders of Trial Courts) | 7500 / -  | 10000 / -                | 12500 / -                |
| 8.                       | किरकोळ अर्ज (Misc. Applications)  | 7500 / -  | 7500 / -                 | 10000 / -                |
| 9.                       | दिवाणी अर्ज / पुर्नविचार अर्ज व इतर सर्व प्रकारचे अर्ज (Civil Applications/ Msc. Applications /All              | 7500 / -  | 7500 / -                 | 10000 / -                |

| अनु. क्र.  | प्रकरणाचा प्रकार   | जुने दर   | प्रस्तावित नविन दर       |                          |
|--|--|-----------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |           | (कनिष्ठ अधिवक्तां करीता) | (वरीष्ठ अधिवक्तां करीता) |
|  | others Applications)   |           |                          |                          |
| <b>जिल्हा व सत्र न्यायालय</b>  |  |           |                          |                          |
| 1.   | नियमित दिवाणी /फौजदारी/आर्बीट्रेशन अपील (Regular Civil /Criminal /Arbitration Appeal)      | 10000 / - | 15000 / -                | 20000 / -                |
| 2.   | अपघात दावा याचीका (Claim Petition)   | 10000 / - | 15000 / -                | 20000 / -                |
| 3.   | म्युनिसीपल अपील (Municipal Appeal) - टॅक्स व मार्केट संबंधीत अपील्स व इतर                  | 5000 / -  | 10000 / -                | 15000 / -                |
| 4.   | किरकोळ दिवाणी अपील (Misc. Civil Appeal) - स्थगनादेश आदेश विरुद्ध अपील व इतर                | 3000 / -  | 7500 / -                 | 10000 / -                |
| 5.   | किरकोळ दिवाणी अर्ज (Misc. Civil Application) - विलंब क्षमापीत अर्ज व इतर                   | 1500 / -  | 3000 / -                 | 5000 / -                 |
| <b>दिवाणी न्यायालय (वरीष्ठ/कनिष्ठ स्तर)</b>  |  |           |                          |                          |
| 1.   | नियमित/विशेष दिवाणी दावा/चुनाव याचीका (Regular/Special Civil Suit/Election Petition)       | 10000 / - | 15000 / -                | 20000 / -                |
| 2.   | म्युनिसीपल अपील (Municipal Appeal)   | 5000 / -  | 10000 / -                | 15000 / -                |
| 3.   | भुसंपादन संबंधी दावे (Land Acquisition Cases )   | 5000 / -  | 10000 / -                | 15000 / -                |
| 4.   | नियमित दरखास्त (Execution Petition RD)   | 5000 / -  | 10000 / -                | 15000 / -                |
| <b>कामगार व औद्योगिक न्यायालय</b>  |  |           |                          |                          |
| 1.   | तक्रार (Complaint - ULP Act , ID Act, WC Act, PG Act, MW Act etc.)                         | 7500 / -  | 15000 / -                | 20000 / -                |
| 2.   | अपील/रिव्हिजन ( ULP Act , ID Act, WC Act, PG Act, MW Act etc.)                             | 7500 / -  | 15000 / -                | 20000 / -                |
| 3.   | नियमित दरखास्त (Execution Petition RD) Labour Court  | 7500 / -  | 15000 / -                | 20000 / -                |
| 4.   | विलंब क्षमापीत अर्ज व इतर (Condonation of delay application)                               | 1500 / -  | 3000 / -                 | 5000 / -                 |
| <b>न्यायदंडाधिकारी वर्ग - 1 (JMFC)</b>   |  |           |                          |                          |
| 1.   | किरकोळ फौजदारी अर्ज (Misc. Criminal Application) - जन्म मृत्यु नोंदणी संबंधी प्रकरणे व इतर | 300 / -   | 700 / -                  | 1000 / -                 |
| 2.   | अभियोजन प्रकरण (Prosecution Proceeding- Tree Act, Fire Act etc.)                           | 3000 / -  | 5000 / -                 | 7500 / -                 |
| <b>जिल्हा ग्राहक तक्रार मंच/राज्य ग्राहक तक्रार मंच/कामगार आयुक्त व इतर अर्धन्यायीक प्राधीकरण<br/>(District Consumer Forum/ State Consumer Forum/Labour Commissioner and Other Quasi-Judicial Authority)</b> |  |           |                          |                          |
| 1.   | अर्ज/तक्रार/महसुल अर्ज/महसुल अपील /स्लम अपील ईत्यादी.                                      | -         | 5000 / -                 | 7500 / -                 |

| अनु. क्र.  | प्रकरणाचा प्रकार  | जुने दर       | प्रस्तावित नविन दर       |                          |
|--|---|---------------|--------------------------|--------------------------|
|  |   |               | (कनिष्ठ अधिवक्तां करीता) | (वरीष्ठ अधिवक्तां करीता) |
|  | (Application/Complaint/Revenue Application/Appeal/Slum Appeal etc.) |               |                          |                          |
| 2.   | राज्य आयोगकडे अपील  | —             | 7500 /—                  | 10000 /—                 |
| <b>अधिवक्तांचे अभिमत (आवटित प्रकरणाशिवाय)</b>  |   |               |                          |                          |
| 1.   | उच्च न्यायालय   | 2500 /—       | 2500 /—                  | 3000 /—                  |
| 2.   | दिवाणी व सत्र न्यायालय  | —             | 1500 /—                  | 2000 /—                  |
| 3.   | कामगार व औद्योगिक न्यायालय  | —             | 1500 /—                  | 2000 /—                  |
| <b>मनपातर्फे अपील दाखल करण्याकरीता किरकोळ खर्च (सर्व खर्चासह)</b>  |   |               |                          |                          |
| 1.   | सर्वोच्च न्यायालय   | 5000 /—       | 10000 /—                 | 15000 /—                 |
| 2.   | उच्च न्यायालय   | —             | 5000 /—                  | 7500 /—                  |
| 3.   | दिवाणी व सत्र न्यायालय  | —             | 3000 /—                  | 5000 /—                  |
| 4.   | कामगार व औद्योगिक न्यायालय  | —             | 3000 /—                  | 5000 /—                  |
| <b>नोट :-</b> जर अपील करीता कोर्ट फी 1000 रु. पेक्षा जास्त असल्यास वास्तवीक कोर्ट फी महानगरपालिकातर्फे देण्यात येईल व संबंधीत अधिवक्तांना देय किरकोळ खर्चामधून रु. 1000 /— कमी करुन भुगतान करण्यात येईल. |   |               |                          |                          |
| <b>मनपाविरुद्ध प्रकरणांकरीता किरकोळ खर्च (सर्व खर्चासह)</b>  |   |               |                          |                          |
| 1.   | सर्वोच्च न्यायालय   | 5000 /—       | 7000 /—                  | 10000 /—                 |
| 2.   | उच्च न्यायालय   | —             | 2500 /—                  | 5000 /—                  |
| 3.   | दिवाणी व सत्र न्यायालय  | —             | 2500 /—                  | 5000 /—                  |
| 4.   | कामगार व औद्योगिक न्यायालय  | —             | 2500 /—                  | 5000 /—                  |
| <b>नोट :-</b> जर काही प्रकरणाकरीता अधिवक्तांना आलेला किरकोळ खर्च वरील रकमेपेक्षा जास्त असल्यास वास्तवीक किरकोळ खर्च महानगरपालिकातर्फे देण्यात येईल.  |   |               |                          |                          |
| <b>आर्बिट्रेशन प्रकरणे (Arbitration Cases)</b>   |   |               |                          |                          |
| 1.   | आर्बिट्रेशन प्रकरणांकरीता   | 60,000 /—     | 75,000 /—                | 1,00,000 /—              |
| 2.   | काउंटर क्लेम असल्यास अतिरिक्त                                       | —             | 25,000 /—                | 50,000 /—                |
| 3.   | किरकोळ खर्च   | वास्तवीक खर्च | 7,500 /—                 | 10,000 /—                |

प्रस्ताव "अ" वर सर्व समिती सदस्यांनी विविध प्रश्न निर्माण केले व विधी अधिकारी यांनी त्यांचे कारणांसह निराकरण केल्यामुळे सर्व समिती सदस्यांनी हा प्रस्ताव यथा योग्य असल्याने संगमताने मंजूर करण्यास हरकत वाटत नसल्याचे मान्य केले.

#### **प्रस्ताव — ब**

नागपूर महानगरपालिकेच्या सर्व पॅनलवर एकुण 34 अधिवक्ता कार्यरत असून प्रस्ताव — अ प्रमाणे अधिवक्तांची कनिष्ठ स्तर व वरीष्ठ स्तर अशी दोन श्रेणी करण्यात आलेल्या असून ज्या अधिवक्तांना मनपाच्या पॅनलवर 10 वर्ष पुर्ण झाले असून विधी विभागाच्या अभिमताप्रमाणे त्यांना वरीष्ठ स्तर श्रेणीत ठेवणे योग्य वाटत असेल अश्या अधिवक्तांना **"वरीष्ठ श्रेणी अधिवक्ता"** असे संबोधण्यात येईल व इतर अधिवक्तांना **"कनिष्ठ श्रेणी अधिवक्ता"** असे संबोधण्यात येईल. सद्यस्थितीत कार्यरत अधिवक्त्यांचे मनपा पॅनल वरील कालावधीच्या आधारे अधिवक्तांची श्रेणी न्यायालय निहाय खालील प्रमाणे आहे.

| अनु.क्र.                 | अधिवक्तांचे नाव           | मनपा पॅनलवर नियुक्ती दिनांक | कालावधी |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------|
| <b>सर्वोच्च न्यायालय</b> |                           |                             |         |
| 1.                       | अधि. गगन सांघी            | 04.04.2013                  | 10 वर्ष |
| 2.                       | अधि. सुहासकुमार कदम       | 04.04.2013                  | 10 वर्ष |
| 3.                       | अधि. शिवाजी जाधव (A.O.R.) | 04.04.2013                  | 10 वर्ष |
| 4.                       | अधि. प्रशांत डहाट         | 04.04.2013                  | 10 वर्ष |

|                                   |                             |            |          |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------|----------|
| 5.                                | अधि. मकरंद अडकर             | 04.04.2013 | 10 वर्ष  |
| 6.                                | अधि. रुक्मीनी बोबडे         | 10.10.2016 | 07 वर्ष  |
| 7.                                | अधि. प्रज्ञा बघेले (A.O.R.) | 10.01.2023 | 0.5 वर्ष |
| <b>उच्च न्यायालय</b>              |                             |            |          |
| 1.                                | अधि. सुधीर एम. पुराणिक      | 01.05.2010 | 13 वर्ष  |
| 2.                                | अधि. जेमीनी बी. कासट        | 01.05.2010 | 13 वर्ष  |
| 3.                                | अधि. संगीता जाचक            | 01.05.2010 | 13 वर्ष  |
| 4.                                | अधि. शरद एन. भट्टड          | 01.05.2010 | 13 वर्ष  |
| 1.                                | अधि. अमित कुकडे             | 15.10.2015 | 8 वर्ष   |
| 2.                                | अधि. शिशीर उके              | 08.09.2017 | 6 वर्ष   |
| 3.                                | अधि. राहुल कलंगीवाले        | 08.09.2017 | 6 वर्ष   |
| 4.                                | अधि. आशिष मेहाडीया          | 21.01.2019 | 4 वर्ष   |
| 5.                                | अधि. रोहन छाबरा             | 21.01.2019 | 4 वर्ष   |
| 6.                                | अधि. गिरीश कुंठे            | 16.08.2019 | 4 वर्ष   |
| 7.                                | अधि. अभय सांबरे             | 11.05.2022 | 1.5 वर्ष |
| 8.                                | अधि. निखील जोशी             | 11.05.2022 | 1.5 वर्ष |
| 9.                                | अधि. एस. मिश्रीकोटकर        | 11.05.2022 | 1.5 वर्ष |
| <b>दिवाणी न्यायालय</b>            |                             |            |          |
| 1.                                | अधि. ए. एम. काझी            | 01.05.2010 | 13 वर्ष  |
| 2.                                | अधि. नंदेश देशपांडे         | 04.04.2013 | 10 वर्ष  |
| 3.                                | अधि. सचिन नारळे             | 04.04.2013 | 10 वर्ष  |
| 4.                                | अधि. सचिन अग्रवाल           | 21.01.2019 | 04 वर्ष  |
| 5.                                | अधि. अमित प्रसाद            | 21.01.2019 | 04 वर्ष  |
| 6.                                | अधि. प्रविण दंडवते          | 21.01.2019 | 04 वर्ष  |
| 7.                                | अधि. मनोज मेंढुलकर          | 16.08.2019 | 04 वर्ष  |
| 8.                                | अधि. पल्लवी महाशब्दे        | 16.08.2019 | 04 वर्ष  |
| 9.                                | अधि. रवि गिरीपुंजे          | 22.03.2021 | 02 वर्ष  |
| <b>कामगार व औद्योगिक न्यायालय</b> |                             |            |          |
| 1.                                | अधि. शरद भट्टड              | 01.05.2010 | 13 वर्ष  |
| 2.                                | अधि. कौस्तुभ पाटील          | 04.04.2013 | 10 वर्ष  |
| 3.                                | अधि. सुक्ष्मलता ढोणे        | 16.08.2019 | 04 वर्ष  |
| 4.                                | अधि. रवि गिरीपुंजे          | 22.03.2021 | 02 वर्ष  |

सद्यापावेतो नागपूर महानगरपालिकेच्या सर्व पॅनलवर एकुण 34 अधिवक्ता कार्यरत असून सर्वांना एक सारखेच मानधन मिळत असल्यामुळे म.न.पा. पॅनलवर असलेले वरीष्ठ व अनुभवी अधिवक्तांसोबत न्याय होत नसल्याची बाब टाळता येत नाही, करीता विधी विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार मनपाच्या पॅनलवर ज्या अधिवक्तांची सेवाकालावधीचे 10 वर्ष पुर्ण झालेले आहे त्यांना वरीष्ठ स्तर श्रेणीत ठेवणे व इतर अधिवक्तांना कनिष्ठ श्रेणीमध्ये ठेवणे योग्य वाटते व अश्या अधिवक्तांना "वरीष्ठ श्रेणी अधिवक्ता" व "कनिष्ठ श्रेणी अधिवक्ता" असे संबोधण्यात यावे तसेच प्रस्ताव "अ" प्रमाणे त्यांचे मानधनात अंतर ठेवणे योग्य वाटत असल्याने समितीच्या संगनमताने या प्रस्तावाला मान्य करण्याची सिफारस आहे.

#### प्रस्ताव – ड

#### उच्च न्यायालयाकरीता नामनिर्देशित वरिष्ठ अधिवक्तांची (Designated Senior Advocate)

#### नियुक्ती बाबत :

विधी अधिकारी यांच्यानुसार मनपा ठराव क्र. 153 दि. 27.08.2015 नुसार नामनिर्देशित वरिष्ठ अधिवक्तांची नियुक्ती संबंधीत अधिवक्ता किंवा विधी अधिकारी यांच्या शिफारसी नुसार मा. आयुक्त यांची मंजूरी घेवुन करण्यात येत आहे. मनपा पॅनलवरील अधिवक्ता श्री. सी.एस. कप्तान व श्री. एस.के. मिश्रा यांची नामनिर्देशित वरिष्ठ अधिवक्ता म्हणुन नियुक्ती झाल्याने तसेच दोन्ही वरिष्ठ अधिवक्तांनी रु. 1 लाख प्रती प्रकरण नुसार मनपाचे प्रकरण घेण्याची संमती दिली असल्याकारणाने सद्यापावेतो उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाकरीताया दोन्ही नामनिर्देशित

वरिष्ठ अधिवक्तांची नियुक्ती करण्यात येत होती. सद्यापरिस्थितीत वरील दोन्ही वरिष्ठ अधिवक्तांनी आवंटीत प्रकरणामध्ये वाढीव फी ची मागणी मा. आयुक्तांना केली असता मा. आयुक्तांनी दि. 29.05.2023 च्या आदेशान्वये मनपाचे प्रचलित धोरणात बदल/सुधार करण्याचे आदेशीत केलेले आहे.

तत्कालीन अति. आयुक्त, शहर यांचेशी झालेल्या चर्चेनुसार व दिशानिर्देशानुसार नागपूर शहरातील खालील नामनिर्देशित वरिष्ठ अधिवक्तांना संमती मागविण्याकरीता दि. 30.06.2023 रोजी पत्र देण्यात आलेले असून खालीलप्रमाणे संमती प्राप्त झालेली आहे.

| अनु.क्र. | वरिष्ठ अधिवक्तांचे नाव  | संमती                              |
|----------|-------------------------|------------------------------------|
| 1.       | श्री. सी.एस. कप्तान     | पत्र घेण्यास नकार – संमती अप्राप्त |
| 2.       | श्री. एस.के. मिश्रा     | प्राप्त                            |
| 3.       | श्री. सुनील व्ही. मनोहर | प्राप्त                            |
| 4.       | श्री. एम.जी. भांगडे     | अप्राप्त                           |
| 5.       | श्री. अनिल जयस्वाल      | प्राप्त                            |
| 6.       | श्री. अनिल मारडीकर      | प्राप्त                            |
| 7.       | श्री. आर. एल. खापरे     | प्राप्त                            |
| 8.       | श्री. सुबोध धर्माधिकारी | प्राप्त                            |

वरील 8 पैकी 6 वरिष्ठ अधिवक्तांनी मनपाच्या प्रस्तावानुसार रु. 1 लक्ष ते रु. 5 लक्ष प्रत्यक्षात प्रकरणाचे गांभिर्य / महत्त्व बघता दोन्ही पक्षाच्या संमतीने व्यवसायीक फी निश्चित करून प्रकरण घेण्यास संमती दिलेली असून नस्तित सलग्न करण्यात आलेली आहे.

सादर विषयावर विस्तृत चर्चा केल्यानंतर समिती खालील प्रमाणे सिफारस करीत आहे.

- (1) वरिष्ठ अधिवक्तांची नियुक्ती करण्याकरीता व्यवसायीक फी रु. 2 लक्ष पर्यंत व्यवसायीक फी वाटाघाटी करून प्रकरण आवंटीत करण्याचे अधिकार उपायुक्त (साप्रवि) यांना देण्यात यावे.
- (2) वरिष्ठ अधिवक्तांची नियुक्ती करण्याकरीता व्यवसायीक फी रु. 3.5 लक्ष पर्यंत वाटाघाटी करून प्रकरण आवंटीत करण्याचे अधिकार संबंधीत अति. आयुक्त यांना देण्यात यावे.
- (3) तसेच वरिष्ठ अधिवक्तांची नियुक्ती करण्याकरीता व्यवसायीक फी रु. 3.5 लक्षावरील फी निश्चिती करण्याचे अधिकार मा. आयुक्त यांचे राहतील.
- (4) संमतीप्राप्त वरिष्ठ अधिवक्तांव्यतिरिक्तही मा. आयुक्त यांचे आदेश व मंजूरीनुसार इतर कोणतेही वरिष्ठ अधिवक्तांची कोणत्याही प्रकरणात फिस बाबत प्रत्यक्ष वाटाघाटी करून नियुक्ति करता येईल.
- (5) वरिष्ठ अधिवक्तांसोबत महानगरपालिकेला एक उच्च न्यायालयाच्या पॅनलवरील अधिवक्ताची नियुक्ति सहायक अधिवक्ता म्हणून करावी लागते करीता अश्या प्रकरणी सहायक अधिवक्तांना एकमुश्त व्यवसायीक फी म्हणून रु. 50,000/- मंजूर करण्यात यावी.

विधी विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावाव्यतिरिक्त चर्चे दरम्यान खालीलप्रमाणे विषय उदभवल्यामुळे त्याबाबत समिती पुढीलप्रमाणे सिफारस करीत आहे.

1. एखादया न्यायालयात एखादया विषयासंबंधी पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त प्रकरण दाखल झाल्यास ते सर्व प्रकरण एकाच अधिवक्त्याला देण्याचा निर्णय विधी अधिकारी यांनी घेतल्यास अश्या प्रकरणी त्या अधिवक्त्याला प्रति प्रकरण देय असलेल्या व्यवसायीक फी ची 50 टक्के व्यवसायीक फी देण्यात येईल.
2. एखादे प्रकरण dismissed in default, withdrawn, infructuous झाल्यास संबंधित अधिवक्त्यांना देय असलेल्या प्रति प्रकरण फिस ची 50 टक्के फिस देण्यात येईल.
3. महानगरपालिकेचे प्रकरण मा. उच्च न्यायालयाचे मुंबई खंडपीठ व औरंगाबाद खंडपीठात ही चालत असल्याकारणाने दोन्ही खंडपीठाकरीता पॅनल तयार करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.
4. उप-विभागीय अधिकारी यांच्या समक्ष दाखल होत असलेल्या जन्म – मृत्यु प्रकरणांत विभागामार्फत उत्तर दाखल करणे व मनपाचे प्रतिनिधित्व करण्याची मागणी संबंधीत विभागाकडून होत आहे व ती योग्य वाटत असल्याने याबाबत विधी अधिकारी यांनी खालीलप्रमाणे तीन उपाय समितीला सुचवले होते  
अ. प्रति प्रकरण रु. 500/- प्रमाणे अधिवक्त्यांची नियुक्ती करणे

ब. दोन अधिवक्त्यांची मासिक मानधन रु. 15,000/- प्रमाणे म.न.पा. पॅनलवर नियुक्ती करणे व

क. महानगरपालिकेच्या कर्मचा-यांमधून विधी पदवीधर असलेल्या कर्मचा-यांची विधी सहायक म्हणून विधी विभागाला बदली केल्यास त्यांच्या मार्फत हे प्रकरणे हाताळता येईल.

वरील तिन्ही उपाययोजनेवर विस्तृत चर्चा केल्याअंती समितीला पर्याय क्र. क योग्य वाटतो कारण दिवसाला अंदाजे 10 ते 15 जन्म - मृत्यु प्रकरणे दाखल होत असल्याकारणाने वरील दोन्ही पर्यायावर महानगरपालिकेवर आर्थिक भूदंड बसणार आहे पण पर्याय क्र. "क" निवडल्यास महानगरपालिकेवर कोणताही आर्थिक भूदंड बसणार नाही व विधी अधिका-याच्या मार्फत कर्मचारी यांचेकडून काम घेतल्यास कामावर योग्य नियंत्रण ठेवता येईल अशी या समितीची धारणा असल्याने सामान्य प्रशासन विभागाने महानगरपालिकेच्या कर्मचा-यांमधून विधी पदवीधर असलेल्या दोन कर्मचा-यांची विधी सहायक म्हणून विधी विभागाला बदली करण्याची तात्काळ व्यवस्था करावी अशी शिफारस करण्यात येते.

करिता वरीलप्रमाणे विभागीय प्रस्ताव क्र. अ, ब, आणि ड यास मान्यता प्रदान करण्याचा प्रश्न विचारात घेणे.

## पारीत ठराव

ठराव क्रमांक :- 784/स्थायी समिती/प्रशासक

दिनांक :- 26/02/2024

महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभागाकडील शासन आदेश क्रमांक एमसीओ-२०२०/प्र.क्र. ७१ (भाग-२) /नवि-१४ दिनांक ०३/०३/२०२२ अन्वये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदी व विशेषतः कलम ४५२ अ च्या (१ अ) व (१ब) मधील तरतुदीनुसार दिनांक ०४-०३-२०२२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार विधी अधिकारी, विधी विभाग यांनी वरील प्रमाणे प्रस्तावीत केल्यानुसार मा. स्थायी समिती चे ठराव क्र. 153 दिनांक 27.08.2015 नुसार उच्च न्यायालयाचे प्रति प्रकरण दर दिनांक 01/09/2015 पासून तर इतर न्यायालयांकरीता प्रति प्रकरण दर स्थायी समिती ठराव क्र. 26 दिनांक 01/06/2017 नुसार मा. उच्च न्यायालयातील पॅनल वरील अधिवक्तांचे व्यवसायीक फी च्या दरात कोणतेही फेरबदल न करता अद्यापावेतो अमलात असल्याने व जवळपास उच्च न्यायालयातील दरांमध्ये मागील 8 वर्षांपासून व इतर न्यायालयांचे दरांमध्ये मागील 6 वर्षांपासून कोणतीही वाढ करण्यात आली नसल्याने अधिवक्तांकडून व्यवसायीक फी मध्ये वाढ करण्याकरीता सततमा. आयुक्तांना मागणी करण्यात येत असल्याने मा. आयुक्तांनी दि. 29/05/2023 रोजी प्रचलीत धोरणामध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देशित केले होते.

मा. आयुक्त यांचे वरील निर्देशानुसार विधी विभागाने विषयानुसार विस्तृत प्रस्ताव मा. आयुक्तांना सादर केले होते. सादर केलेल्या प्रस्तावावर अभ्यास करून अहवाल करण्याकरीता मा. आयुक्तांचे दिनांक 02.01.2024 च्या आदेशान्वये अति. आयुक्त (सामान्य) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती चे गठन करण्यात आले होते. गठीत समितीने विधी विभागाच्या प्रस्तावावर अभ्यास करून व चर्चा करून विस्तृत अहवाल मा. आयुक्तांना दिनांक 30.01.2024 रोजी सादर केले होते. सादर केलेल्या प्रस्ताव क्र. अ, ब, क आणि ड पैकी प्रस्ताव क्र. अ, ब, आणि ड ला समितीने वेळेवर केलेल्या सुधारणा व सूचनेसह मा. आयुक्तांनी दिनांक 01.02.2024 रोजी मान्यता प्रदान केली आहे.

मा. आयुक्तांनी मान्यता प्रदान केलेल्या प्रस्तावाला सद्यस्थितीत स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्याने मा. प्रशासक यांची मान्यता असणे आवश्यक असल्याने खालीलप्रमाणे न्यायालय निहाय मनपा पॅनलवरील अधिवक्तांकरीता सुधारीत धोरणाचा प्रारूप सादर करण्यात येत आहे.

### प्रस्ताव - अ

| अनु. क्र. | प्रकरणाचा प्रकार | जुने दर | प्रस्तावित नविन दर       |                          |
|-----------|------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
|           |                  |         | (कनिष्ठ अधिवक्तां करीता) | (वरीष्ठ अधिवक्तां करीता) |
|           |                  |         |                          |                          |

| अनु. क्र.                                   | प्रकरणाचा प्रकार  | जुने दर   | प्रस्तावित नविन दर       |                          |
|---|---|-----------|--------------------------|--------------------------|
|   |   |           | (कनिष्ठ अधिवक्तां करीता) | (वरीष्ठ अधिवक्तां करीता) |
| <b>सर्वोच्च न्यायालय</b>                    |   |           |                          |                          |
| 1.  | विशेष अनुमती याचिका व इतर (SLP etc.)  | 25000 / - | 50000 / -                | 75000 / -                |
| <b>उच्च न्यायालय</b>                        |   |           |                          |                          |
| 1.  | याचिका (Writ Petition)  | 10000 / - | 15000 / -                | 20000 / -                |
| 2.  | अवमानना याचिका (Contempt Petition)  | 10000 / - | 15000 / -                | 20000 / -                |
| 3.  | प्रथम अपील (First Appeal)   | 10000 / - | 15000 / -                | 20000 / -                |
| 4.  | द्वितीय अपील (Second Appeal)  | 10000 / - | 15000 / -                | 20000 / -                |
| 5.  | जनहित याचिका (Public Interest Litigation)   | 20000 / - | 25000 / -                | 30000 / -                |
| 6.  | याचिका जिथे महानगरपालिका औपचारीक पक्ष असेल (Writ Petition in which NMC is formal Party)                                 | 7500 / -  | 10000 / -                | 12500 / -                |
| 7.  | इतर न्यायालयांनी पारीत केलेले अंतरीम आदेशाविरुद्ध याचिका (Writ Petition against interim orders of Trial Courts)         | 7500 / -  | 10000 / -                | 12500 / -                |
| 8.  | किरकोळ अर्ज (Misc. Applications)  | 7500 / -  | 7500 / -                 | 10000 / -                |
| 9.  | दिवाणी अर्ज / पुर्नविचार अर्ज व इतर सर्व प्रकारचे अर्ज (Civil Applications/ Msc. Applications /All others Applications) | 7500 / -  | 7500 / -                 | 10000 / -                |
| <b>जिल्हा व सत्र न्यायालय</b>               |   |           |                          |                          |
| 1.  | नियमित दिवाणी / फौजदारी / आर्बीट्रेशन अपील (Regular Civil /Criminal /Arbitration Appeal)                                | 10000 / - | 15000 / -                | 20000 / -                |
| 2.  | अपघात दावा याचिका (Claim Petition)  | 10000 / - | 15000 / -                | 20000 / -                |
| 3.  | म्युनिसीपल अपील (Municipal Appeal) - टॅक्स व मार्केट संबंधीत अपील्स व इतर   | 5000 / -  | 10000 / -                | 15000 / -                |
| 4.  | किरकोळ दिवाणी अपील (Misc. Civil Appeal) - स्थगनादेश आदेश विरुद्ध अपील व इतर   | 3000 / -  | 7500 / -                 | 10000 / -                |
| 5.  | किरकोळ दिवाणी अर्ज (Misc. Civil Application) - विलंब क्षमापीत अर्ज व इतर  | 1500 / -  | 3000 / -                 | 5000 / -                 |
| <b>दिवाणी न्यायालय (वरीष्ठ/कनिष्ठ स्तर)</b> |   |           |                          |                          |

| अनु. क्र.  | प्रकरणाचा प्रकार   | जुने दर   | प्रस्तावित नविन दर       |                          |
|--|--|-----------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |           | (कनिष्ठ अधिवक्तां करीता) | (वरीष्ठ अधिवक्तां करीता) |
| 1.   | नियमित / विशेष दिवाणी दावा / चुनाव याचीका (Regular/Special Civil Suit/Election Petition)   | 10000 / - | 15000 / -                | 20000 / -                |
| 2.   | म्युनिसीपल अपील (Municipal Appeal)   | 5000 / -  | 10000 / -                | 15000 / -                |
| 3.   | भुसंपादन संबंधी दावे (Land Acquisition Cases)  | 5000 / -  | 10000 / -                | 15000 / -                |
| 4.   | नियमित दरखास्त (Execution Petition RD)   | 5000 / -  | 10000 / -                | 15000 / -                |
| <b>कामगार व औद्योगिक न्यायालय</b>  |  |           |                          |                          |
| 1.   | तक्रार (Complaint - ULP Act, ID Act, WC Act, PG Act, MW Act etc.)  | 7500 / -  | 15000 / -                | 20000 / -                |
| 2.   | अपील / रिव्हिजन ( ULP Act, ID Act, WC Act, PG Act, MW Act etc.)  | 7500 / -  | 15000 / -                | 20000 / -                |
| 3.   | नियमित दरखास्त (Execution Petition RD) Labour Court  | 7500 / -  | 15000 / -                | 20000 / -                |
| 4.   | विलंब क्षमापीत अर्ज व इतर (Condonation of delay application)   | 1500 / -  | 3000 / -                 | 5000 / -                 |
| <b>न्यायदंडाधिकारी वर्ग - 1 (JMFC)</b>   |  |           |                          |                          |
| 1.   | किरकोळ फौजदारी अर्ज (Misc. Criminal Application) - जन्म मृत्यु नोंदणी संबंधी प्रकरणे व इतर                                       | 300 / -   | 700 / -                  | 1000 / -                 |
| 2.   | अभियोजन प्रकरण (Prosecution Proceeding- Tree Act, Fire Act etc.)   | 3000 / -  | 5000 / -                 | 7500 / -                 |
| <b>जिल्हा ग्राहक तक्रार मंच / राज्य ग्राहक तक्रार मंच / कामगार आयुक्त व इतर अर्धन्यायीक प्राधीकरण<br/>(District Consumer Forum/ State Consumer Forum/Labour Commissioner and Other Quasi-Judicial Authority)</b> |  |           |                          |                          |
| 1.   | अर्ज / तक्रार / महसुल अर्ज / महसुल अपील / स्लम अपील इत्यादी. (Application/Complaint/Revenue Application/Appeal/Slum Appeal etc.) | -         | 5000 / -                 | 7500 / -                 |
| 2.   | राज्य आयोगकडे अपील   | -         | 7500 / -                 | 10000 / -                |
| <b>अधिवक्तांचे अभिमत (आवटित प्रकरणाशिवाय)</b>  |  |           |                          |                          |
| 1.   | उच्च न्यायालय  | 2500 / -  | 2500 / -                 | 3000 / -                 |
| 2.   | दिवाणी व सत्र न्यायालय   | -         | 1500 / -                 | 2000 / -                 |
| 3.   | कामगार व औद्योगिक न्यायालय   | -         | 1500 / -                 | 2000 / -                 |
| <b>मनपातर्फे अपील दाखल करण्याकरीता किरकोळ खर्च (सर्व खर्चासह)</b>  |  |           |                          |                          |
| 1.   | सर्वोच्च न्यायालय  | 5000 / -  | 10000 / -                | 15000 / -                |
| 2.   | उच्च न्यायालय  | -         | 5000 / -                 | 7500 / -                 |



| अनु. क्र.  | प्रकरणाचा प्रकार              | जुने दर       | प्रस्तावित नविन दर       |                          |
|--|-------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                               |               | (कनिष्ठ अधिवक्तां करीता) | (वरीष्ठ अधिवक्तां करीता) |
| 3.   | दिवाणी व सत्र न्यायालय        | —             | 3000 /—                  | 5000 /—                  |
| 4.   | कामगार व औद्योगिक न्यायालय    | —             | 3000 /—                  | 5000 /—                  |
| <b>नोट :-</b> जर अपील करीता कोर्ट फी 1000 रु. पेक्षा जास्त असल्यास वास्तवीक कोर्ट फी महानगरपालिकातर्फे देण्यात येईल व संबंधीत अधिवक्तांना देय किरकोळ खर्चामधून रु. 1000 /— कमी करून भुगतान करण्यात येईल. |                               |               |                          |                          |
| <b>मनपाविरूद्ध प्रकरणांकरीता किरकोळ खर्च (सर्व खर्चासह)</b>  |                               |               |                          |                          |
| 1.   | सर्वोच्च न्यायालय             | 5000 /—       | 7000 /—                  | 10000 /—                 |
| 2.   | उच्च न्यायालय                 | —             | 2500 /—                  | 5000 /—                  |
| 3.   | दिवाणी व सत्र न्यायालय        | —             | 2500 /—                  | 5000 /—                  |
| 4.   | कामगार व औद्योगिक न्यायालय    | —             | 2500 /—                  | 5000 /—                  |
| <b>नोट :-</b> जर काही प्रकरणाकरीता अधिवक्तांना आलेला किरकोळ खर्च वरील रकमेपेक्षा जास्त असल्यास वास्तवीक किरकोळ खर्च महानगरपालिकातर्फे देण्यात येईल.  |                               |               |                          |                          |
| <b>आर्बिट्रेशन प्रकरणे (Arbitration Cases)</b>   |                               |               |                          |                          |
| 1.   | आर्बिट्रेशन प्रकरणांकरीता     | 60,000 /—     | 75,000 /—                | 1,00,000 /—              |
| 2.   | काउंटर क्लेम असल्यास अतिरिक्त | —             | 25,000 /—                | 50,000 /—                |
| 3.   | किरकोळ खर्च                   | वास्तवीक खर्च | 7,500 /—                 | 10,000 /—                |

प्रस्ताव "अ" वर सर्व समिती सदस्यांनी विविध प्रश्न निर्माण केले व विधी अधिकारी यांनी त्यांचे कारणांसह निराकरण केल्यामुळे सर्व समिती सदस्यांनी हा प्रस्ताव यथा योग्य असल्याने संगमताने मंजूर करण्यास हरकत वाटत नसल्याचे मान्य केले.

#### **प्रस्ताव – ब**

नागपूर महानगरपालिकेच्या सर्व पॅनलवर एकूण 34 अधिवक्ता कार्यरत असून प्रस्ताव – अ प्रमाणे अधिवक्तांची कनिष्ठ स्तर व वरीष्ठ स्तर अशी दोन श्रेणी करण्यात आलेल्या असून ज्या अधिवक्तांना मनपाच्या पॅनलवर 10 वर्ष पुर्ण झाले असून विधी विभागाच्या अभिमताप्रमाणे त्यांना वरीष्ठ स्तर श्रेणीत ठेवणे योग्य वाटत असेल अशा अधिवक्तांना **"वरीष्ठ श्रेणी अधिवक्ता"** असे संबोधण्यात येईल व इतर अधिवक्तांना **"कनिष्ठ श्रेणी अधिवक्ता"** असे संबोधण्यात येईल. सद्यस्थितीत कार्यरत अधिवक्त्यांचे मनपा पॅनल वरील कालावधीच्या आधारे अधिवक्तांची श्रेणी न्यायालय निहाय खालील प्रमाणे आहे.

| अनु.क्र.                 | अधिवक्तांचे नाव             | मनपा पॅनलवर नियुक्ती दिनांक | कालावधी  |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| <b>सर्वोच्च न्यायालय</b> |                             |                             |          |
| 1.                       | अधि. गगन सांघी              | 04.04.2013                  | 10 वर्ष  |
| 2.                       | अधि. सुहासकुमार कदम         | 04.04.2013                  | 10 वर्ष  |
| 3.                       | अधि. शिवाजी जाधव (A.O.R.)   | 04.04.2013                  | 10 वर्ष  |
| 4.                       | अधि. प्रशांत डहाट           | 04.04.2013                  | 10 वर्ष  |
| 5.                       | अधि. मकरंद अडकर             | 04.04.2013                  | 10 वर्ष  |
| 6.                       | अधि. रुक्मीनी बोबडे         | 10.10.2016                  | 07 वर्ष  |
| 7.                       | अधि. प्रज्ञा बघेले (A.O.R.) | 10.01.2023                  | 0.5 वर्ष |
| <b>उच्च न्यायालय</b>     |                             |                             |          |
| 1.                       | अधि. सुधीर एम. पुराणिक      | 01.05.2010                  | 13 वर्ष  |

|                                   |                      |            |          |
|-----------------------------------|----------------------|------------|----------|
| 2.                                | अधि. जेमीनी बी. कासट | 01.05.2010 | 13 वर्ष  |
| 3.                                | अधि. संगीता जाचक     | 01.05.2010 | 13 वर्ष  |
| 4.                                | अधि. शरद एन. भट्टड   | 01.05.2010 | 13 वर्ष  |
| 1.                                | अधि. अमित कुकडे      | 15.10.2015 | 8 वर्ष   |
| 2.                                | अधि. शिशीर उके       | 08.09.2017 | 6 वर्ष   |
| 3.                                | अधि. राहुल कलंगीवाले | 08.09.2017 | 6 वर्ष   |
| 4.                                | अधि. आशिष मेहाडीया   | 21.01.2019 | 4 वर्ष   |
| 5.                                | अधि. रोहन छाबरा      | 21.01.2019 | 4 वर्ष   |
| 6.                                | अधि. गिरीश कुंटे     | 16.08.2019 | 4 वर्ष   |
| 7.                                | अधि. अभय सांबरे      | 11.05.2022 | 1.5 वर्ष |
| 8.                                | अधि. निखील जोशी      | 11.05.2022 | 1.5 वर्ष |
| 9.                                | अधि. एस. मिश्रीकोटकर | 11.05.2022 | 1.5 वर्ष |
| <b>दिवाणी न्यायालय</b>            |                      |            |          |
| 1.                                | अधि. ए. एम. काझी     | 01.05.2010 | 13 वर्ष  |
| 2.                                | अधि. नंदेश देशपांडे  | 04.04.2013 | 10 वर्ष  |
| 3.                                | अधि. सचिन नारळे      | 04.04.2013 | 10 वर्ष  |
| 4.                                | अधि. सचिन अग्रवाल    | 21.01.2019 | 04 वर्ष  |
| 5.                                | अधि. अमित प्रसाद     | 21.01.2019 | 04 वर्ष  |
| 6.                                | अधि. प्रविण दंडवते   | 21.01.2019 | 04 वर्ष  |
| 7.                                | अधि. मनोज मेंढुलकर   | 16.08.2019 | 04 वर्ष  |
| 8.                                | अधि. पल्लवी महाशब्दे | 16.08.2019 | 04 वर्ष  |
| 9.                                | अधि. रवि गिरीपुंजे   | 22.03.2021 | 02 वर्ष  |
| <b>कामगार व औद्योगिक न्यायालय</b> |                      |            |          |
| 1.                                | अधि. शरद भट्टड       | 01.05.2010 | 13 वर्ष  |
| 2.                                | अधि. कौस्तुभ पाटील   | 04.04.2013 | 10 वर्ष  |
| 3.                                | अधि. सुक्ष्मलता ढोणे | 16.08.2019 | 04 वर्ष  |
| 4.                                | अधि. रवि गिरीपुंजे   | 22.03.2021 | 02 वर्ष  |

सद्यापावेतो नागपूर महानगरपालिकेच्या सर्व पॅनलवर एकुण 34 अधिवक्ता कार्यरत असून सर्वांना एक सारखेच मानधन मिळत असल्यामुळे म.न.पा. पॅनलवर असलेले वरीष्ठ व अनुभवी अधिवक्तांसोबत न्याय होत नसल्याची बाब टाळता येत नाही, करीता विधी विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार मनपाच्या पॅनलवर ज्या अधिवक्तांची सेवाकालावधीचे 10 वर्ष पुर्ण झालेले आहे त्यांना वरीष्ठ स्तर श्रेणीत ठेवणे व इतर अधिवक्तांना कनिष्ठ श्रेणीमध्ये ठेवणे योग्य वाटते व अश्या अधिवक्तांना **"वरीष्ठ श्रेणी अधिवक्ता"** व **"कनिष्ठ श्रेणी अधिवक्ता"** असे संबोधण्यात यावे तसेच प्रस्ताव "अ" प्रमाणे त्यांचे मानधनात अंतर ठेवणे योग्य वाटत असल्याने समितीच्या संगनमताने या प्रस्तावाला मान्य करण्याची सिफारस आहे.

#### प्रस्ताव – ड

#### उच्च न्यायालयाकरीता नामनिर्देशित वरिष्ठ अधिवक्तांची (Designated Senior Advocate)

#### नियुक्ती बाबत :

विधी अधिकारी यांच्यानुसार मनपा ठराव क्र. 153 दि. 27.08.2015 नुसार नामनिर्देशित वरिष्ठ अधिवक्तांची नियुक्ती संबंधीत अधिवक्ता किंवा विधी अधिकारी यांच्या शिफारसी नुसार मा. आयुक्त यांची मंजूरी घेवुन करण्यात येत आहे. मनपा पॅनलवरील अधिवक्ता श्री. सी.एस. कप्तान व श्री. एस.के. मिश्रा यांची नामनिर्देशित वरिष्ठ अधिवक्ता म्हणुन नियुक्ती झाल्याने तसेच

दोन्ही वरिष्ठ अधिवक्तांनी रु. 1 लाख प्रती प्रकरण नुसार मनपाचे प्रकरण घेण्याची संमती दिली असल्याकारणाने सद्यापावेतो उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाकरीताया दोन्ही नामनिर्देशित वरिष्ठ अधिवक्तांची नियुक्ती करण्यात येत होती. सद्यापरिस्थितीत वरील दोन्ही वरिष्ठ अधिवक्तांनी आवंटीत प्रकरणामध्ये वाढीव फी ची मागणी मा. आयुक्तांना केली असता मा. आयुक्तांनी दि. 29.05.2023 च्या आदेशान्वये मनपाचे प्रचलित धोरणात बदल/सुधार करण्याचे आदेशीत केलेले आहे.

तत्कालीन अति. आयुक्त, शहर यांचेशी झालेल्या चर्चेनुसार व दिशानिर्देशानुसार नागपूर शहरातील खालील नामनिर्देशित वरिष्ठ अधिवक्तांना संमती मागविण्याकरीता दि. 30.06.2023 रोजी पत्र देण्यात आलेले असून खालीलप्रमाणे संमती प्राप्त झालेली आहे.

| अनु.क्र. | वरिष्ठ अधिवक्तांचे नाव  | संमती                              |
|----------|-------------------------|------------------------------------|
| 1.       | श्री. सी.एस. कप्तान     | पत्र घेण्यास नकार – संमती अप्राप्त |
| 2.       | श्री. एस.के. मिश्रा     | प्राप्त                            |
| 3.       | श्री. सुनील व्ही. मनोहर | प्राप्त                            |
| 4.       | श्री. एम.जी. भांगडे     | अप्राप्त                           |
| 5.       | श्री. अनिल जयस्वाल      | प्राप्त                            |
| 6.       | श्री. अनिल मारडीकर      | प्राप्त                            |
| 7.       | श्री. आर. एल. खापरे     | प्राप्त                            |
| 8.       | श्री. सुबोध धर्माधिकारी | प्राप्त                            |

वरील 8 पैकी 6 वरिष्ठ अधिवक्तांनी मनपाच्या प्रस्तावानुसार रु. 1 लक्ष ते रु. 5 लक्ष प्रत्यक्षात प्रकरणाचे गांभिर्य / महत्त्व बघता दोन्ही पक्षाच्या संमतीने व्यवसायीक फी निश्चित करून प्रकरण घेण्यास संमती दिलेली असून नस्तित सलग्न करण्यात आलेली आहे.

सादर विषयावर विस्तृत चर्चा केल्यानंतर समिती खालील प्रमाणे सिफारस करित आहे.

- (1) वरिष्ठ अधिवक्तांची नियुक्ती करण्याकरीता व्यवसायीक फी रु. 2 लक्ष पर्यंत व्यवसायीक फी वाटाघाटी करून प्रकरण आवंटीत करण्याचे अधिकार उपायुक्त (साप्रवि) यांना देण्यात यावे.
- (2) वरिष्ठ अधिवक्तांची नियुक्ती करण्याकरीता व्यवसायीक फी रु. 3.5 लक्ष पर्यंत वाटाघाटी करून प्रकरण आवंटीत करण्याचे अधिकार संबंधीत अति. आयुक्त यांना देण्यात यावे.
- (3) तसेच वरिष्ठ अधिवक्तांची नियुक्ती करण्याकरीता व्यवसायीक फी रु. 3.5 लक्षावरील फी निश्चिती करण्याचे अधिकार मा. आयुक्त यांचे राहतील.
- (4) संमतीप्राप्त वरिष्ठ अधिवक्तांव्यतिरिक्तही मा. आयुक्त यांचे आदेश व मंजूरीनुसार इतर कोणतेही वरिष्ठ अधिवक्तांची कोणत्याही प्रकरणात फिस बाबत प्रत्यक्ष वाटाघाटी करून नियुक्ति करता येईल.
- (5) वरिष्ठ अधिवक्तांसोबत महानगरपालिकेला एक उच्च न्यायालयाच्या पॅनलवरील अधिवक्ताची नियुक्ति सहायक अधिवक्ता म्हणून करावी लागते करीता अश्या प्रकरणी सहायक अधिवक्तांना एकमुश्त व्यवसायीक फी म्हणून रु. 50,000/- मंजूर करण्यात यावी.

विधी विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावाव्यतिरिक्त चर्चे दरम्यान खालीलप्रमाणे विषय उदभवल्यामुळे त्याबाबत समिती पुढीलप्रमाणे सिफारस करित आहे.

1. एखादया न्यायालयात एखादया विषयासंबंधी पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त प्रकरण दाखल झाल्यास ते सर्व प्रकरण एकाच अधिवक्त्याला देण्याचा निर्णय विधी अधिकारी यांनी घेतल्यास अश्या प्रकरणी त्या अधिवक्त्याला प्रति प्रकरण देय असलेल्या व्यवसायीक फी ची 50 टक्के व्यवसायीक फी देण्यात येईल.
2. एखादे प्रकरण dismissed in default, withdrawn, infructuous झाल्यास संबंधित अधिवक्त्यांना देय असलेल्या प्रति प्रकरण फिस ची 50 टक्के फिस देण्यात येईल.

3. महानगरपालिकेचे प्रकरण मा. उच्च न्यायालयाचे मुंबई खंडपीठ व औरंगाबाद खंडपीठात ही चालत असल्याकारणाने दोन्ही खंडपीठाकरीता पॅनल तयार करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.
4. उप-विभागीय अधिकारी यांच्या समक्ष दाखल होत असलेल्या जन्म – मृत्यु प्रकरणांत विभागामार्फत उत्तर दाखल करणे व मनपाचे प्रतिनिधित्व करण्याची मागणी संबंधीत विभागाकडून होत आहे व ती योग्य वाटत असल्याने याबाबत विधी अधिकारी यांनी खालीलप्रमाणे तीन उपाय समितीला सुचवले होते

**अ.** प्रति प्रकरण रु. 500/- प्रमाणे अधिवक्त्यांची नियुक्ती करणे

**ब.** दोन अधिवक्त्यांची मासिक मानधन रु. 15,000/- प्रमाणे म.न.पा. पॅनलवर नियुक्ती करणे व

**क.** महानगरपालिकेच्या कर्मचा-यांमधून विधी पदवीधर असलेल्या कर्मचा-यांची विधी सहायक म्हणून विधी विभागाला बदली केल्यास त्यांच्या मार्फत हे प्रकरणे हाताळता येईल.

वरील तिन्ही उपाययोजनेवर विस्तृत चर्चा केल्याअंती समितीला पर्याय क्र. क योग्य वाटतो कारण दिवसाला अंदाजे 10 ते 15 जन्म – मृत्यु प्रकरणे दाखल होत असल्याकारणाने वरील दोन्ही पर्यायावर महानगरपालिकेवर आर्थिक भूर्दंड बसणार आहे पण पर्याय क्र. “क” निवडल्यास महानगरपालिकेवर कोणताही आर्थिक भूर्दंड बसणार नाही व विधी अधिका-याच्या मार्फत कर्मचारी यांचेकडून काम घेतल्यास कामावर योग्य नियंत्रण ठेवता येईल अशी या समितीची धारणा असल्याने सामान्य प्रशासन विभागाने महानगरपालिकेच्या कर्मचा-यांमधून विधी पदवीधर असलेल्या दोन कर्मचा-यांची विधी सहायक म्हणून विधी विभागाला बदली करण्याची तात्काळ व्यवस्था करावी अशी शिफारस करण्यात येते.

करिता वरीलप्रमाणे विभागीय प्रस्ताव क्र. **अ, ब, आणि ड** च्या प्रस्तावास मा. प्रशासक यांनी मंजूरी प्रदान केली.